रजिस्टर्ड नं0 पी0/एस0 एम0 13.

हिमाचल प्रदेश

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

खण्ड 35] शिमला, शनिवार, 18 जुलाई, 1987/27 आषाढ़, 1909 [संख्या 29

विषय-सूची

भाग 1	वैधानिक नियमों को छोड़ कर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि	534—535 तथा 540—543
भाग 2	वैधानिक नियमों को छोड़ कर विभिन्न विभागों के अध्यक्षों और जिला मैजिस्ट्रेटों द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि ..	535
भाग 3	अधिनियम, विधेयक और विधेयकों पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन, वैधानिक नियम तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट, फाइनेन्शियल कमिश्नर तथा कमिश्नर आफ इन्कम-टैक्स द्वारा अधिसूचित आदेश इत्यादि ..	—
भाग 4	स्थानीय स्वायत शासन: म्युनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, नोटिफाइड और टाउन एरिया तथा पंचायती राज विभाग ..	—
भाग 5	वैयक्तिक अधिसूचनाएं और विज्ञापन	536—540
भाग 6	भारतीय राजपत्र इत्यादि में से पुन: प्रकाशन	—
भाग 7	भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) की वैधानिक अधिसूचनाएं तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी अधिसूचनाएं	—
—	अनुपूरक ..	—

18 जुलाई, 1987/27 आषाढ़, 1909 को समाप्त होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित विज्ञप्तियां 'असाधारण राजपत्र, हिमाचल प्रदेश' में प्रकाशित हुई :—

विज्ञप्ति की संख्या	विभाग का नाम	विषय
संख्या पी0 सी0 एच0-एच0-ए0(1) 8/87, दिनांक 14 जुलाई, 1987.	पंचायती राज विभाग	The Himachal Pradesh Panchayat Samitis (Co-option of Members) (Amendment) Rules, 1987.
संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0 (3)-2/78-II, दिनांक 14 जुलाई, 1987.	-यथैव-	विकास खण्ड पांवटा की ग्राम पंचायत बद्रीपुर और भारवाली और विकास खण्ड पच्छाद की ग्राम पंचायत राजगढ़ की पुन: स्थापना तथा कार्य आरम्भ करने के समय तक के लिये क्रमश: तहसीलदार पांवटा और तहसीलदार राजगढ़ को ग्राम पंचायत की सभी शक्तियां का प्रयोग करने और उन्हें निभाने हेतु प्रशासक के रूप में नियुक्ति।
No. 7-18/86-EXN-14013-47, dated 25th June, 1987.	Excise and Taxation Department	Amending rule 9.32 of the Punjab Distillery Rules, 1932 as in force in the areas comprised in Himachal Pradesh immediately before 1st November, 1966.
No. 7-18/86-EXN-14048-82, dated 25th June, 1987.	-do-	Amending rule 32 of the Punjab Distillery Rules, 1932 as in force in the territories transferred to Himachal Pradesh under section 5 of the Punjab Reorganisation Act, 1966.
No. 11-1/73-E&T, dated 24th June, 1987.	-do-	Amending sub-clause (iii) of clause (a) of proviso to item (1) of order I of the Punjab Intoxicant License and Sale Order, 1956 as in force in the territories transferred to Himachal Pradesh under section 5 of the Punjab Reorganisation Act, 1966.
No. 7-1/72-LSG-I, dated 20th June, 1987.	Local Self Government Department	Cancelling notification of even number, dated 5th May, 1987.
No. Agr. A (4)-9/86 (Part), dated 17th June, 1987.	Agriculture Department	Fixing the headquarter of the Chairman, Himachal Pradesh Marketing Board at Shimla instead of Solan.

हिमाचल प्रदेश उच्च-न्यायालय

NOTIFICATIONS

Shimla-1, *the 6th June*, 1987

No. HHC/GAZ/14-156/84.—The Hon'ble the Chief Justice and Judges are pleased to grant 7 days earned leave *w. e. f.* July 4, 1987 to July 10, 1987 with permission to suffix Second Saturday and Sunday falling on July 11 and July 12, 1987, in favour of Shri D. S. Khenal, Sub-Judge-*cum*-Judicial Magistrate 1st Class, Rajgarh.

Certified that Shri D. S. Khenal would have continued to hold the post of Sub-Judge-*cum*-Judicial Magistrate 1st Class, Rajgarh but for his proceeding on leave for the above period.

Also certified that Shri D. S. Khenal, Sub-Judge-*cum*-Judicial Magistrate will join the same post and also the same station from where he proceeds on leave.

———

Shimla-1, *the July*, 1987

No. HHC/GAZ/14-129/82.—Shri R. K. Kaushal, Sub-Judge-*cum*-Judicial Magistrate, Dehra, is allowed to cross the efficiency bar at the stage of Rs. 1200/- raising his pay from Rs. 1200/- to Rs. 1400/- in the pay scale of Rs. 940-30-1000-40-1200/1400-60-1700/75-1850, *w. e. f.* March 1, 1987.

By order,
Sd/-
Deputy Registrar (Admn.).

हिमाचल प्रदेश सरकार

बहुद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 5 जून, 1987

संख्या विद्युत-छ (5)-8/87.—यत: राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्, जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (सी0सी0) के अर्थान्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन नामत: उप ग्राम मुरचो, शांगो और यंगपा, मौजा भावा, तहसील निचार, जिला किन्नौर में संजय जल विद्युत परियोजना (भावा आगमेंण्टेशन) जल भण्डार के चारों ओर सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र जैसा कि नीचे विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, इस समय इस उपक्रम में कार्यरत अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके में किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमत सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी ऐसा हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन करने पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भूमि अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्, विमल बैंक, शिमला-3 के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला : किन्नौर — तहसील : निचार

उप-ग्राम	खसरा नं0	क्षेत्र (हैक्टेयर)		
1	2	3	4	5
मुरचो (मौजा भावा)।	316	0	01	82
	317	0	11	84
	319	0	03	77
	321	0	00	21
	323	0	26	12
	324	0	04	35
	325	0	07	73
	329	0	00	65
	330	0	07	38
	340	0	17	20
	341	0	13	41
	342	0	04	65
	343	0	19	55
	667/2/1	0	02	80
शांगो (मौजा भावा)।	409	0	02	38
यंगपा (मौजा भावा)	43	0	35	29
	44	0	15	44
	45	0	13	00
	46	0	13	71
	48	0	24	92
	63	0	11	67
	64	0	18	89
	65	0	16	52
	66	0	02	00
	67	0	13	23
	68	0	07	57
	74	0	15	49
किता ..	27	3	14	59

आदेश द्वारा,
कैलाश चन्द्र महाजन,
सचिव।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचनाएं

यत: राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन नामत:* हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन* के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों/कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, सोलन के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

संख्या सिंचाई 11-4/87-सोलन. शिमला-2, 25 जून, 1987.

*उठाऊ पेय जल योजना बरार कलोनी में पम्प हाऊस के निर्माण हेतु।

विस्तृत विवरणी

जिला : सोलन तहसील: अर्की

गांव	खसरा नं0	क्षेत्र		
		बी0	बि0	बिस्वांसी
1	2	3	4	5
बनोल	28/1	0	7	0
		0	7	0

*सहायक अभियन्ता (सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य के कार्यालय के निर्माण हेतु।

संख्या सिंचाई 11-3/86. शिमला-2, 25 जून, 1987.

विस्तृत विवरणी

जिला: मण्डी तहसील : जोगिन्दर नगर

गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र		
		बी0	बि0	बिस्वांसी
1	2	3	4	5
कटौंधरी/536.	119/1	0	13	15
किता ..	1	0	13	15

आदेश द्वारा,
म0 कु0 महोपात्र,
सचिव।

राजस्व विभाग
(पौंग बांध सैल)

अधिसूचना

शिमला-171002, 5 अगस्त, 1986

संख्या 4-30/83-पौंग सैल.—हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर लोक प्रयोजन के लिए इस में नीचे विनिर्दिष्ट भूमि अब अपेक्षित नहीं है।

अत: अब हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम हरसर, टीका हवाल, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा में हदबस्त सं0 73/7 में ब्यास बांध के जलाशय क्षेत्र के लिए भूमि अर्जन की कार्यवाहियों का जिन की बाबत पंजाब सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन राजपत्र, पंजाब सरकार द्वारा तारीख 20-11-1964 में प्रकाशित अधिसूचना सं0 24275/बी0पी0ए0/3561-64, तारीख 10-11-1964 जारी की गई थी और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, तारीख 15-2-69 में अधिसूचना सं0 4-2/69-राजस्व-II, तारीख 18-1-69 द्वारा प्रकाशित पश्चातवर्ती घोषणा जारी की गई थी, प्रत्याहृत करते हैं।

[*Authoritative English text of Himachal Pradesh Government notification No. 4-30/83-Pong Cell, dated 5-8-1986, as required under Article 348 (3) of the Constitution of India*]

REVENUE DEPARTMENT

(PONG DAM CELL)

NOTIFICATION

Shimla-2, the 5th August, 1985

No. 4-30/83-Pong Cell.—Whereas the Government of Himachal Pradesh, no longer requires at public expense for a public purpose, the land specified herein below.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 48 of the Land Acquisition Act, 1894, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to withdraw the land acquisition proceedings with respect to which a notification under Section 4 of the said Act was issued by the Punjab Govt. *vide* No. 24275/BPA/3561-62, dated 10-11-1964 published in the Punjab Govt. Official Gazette, dated 20-11-64 and subsequent declaration under section 6 of the said Act issued by the H.P. Govt. *vide* notification No. 4-2/69-Rev-II, dated 18-1-69 and published in H.P. Rajpatra on 15-2-69 for acquiring land for the reservoir area of Beas Dam, in Tikka Hawal, Hadbast No. 73/7 of village Harsar, Tehsil Nurpur, District Kangra.

SPECIFICATION

जिला : कांगड़ा तहसील : नूरपुर
District : KANGRA Tehsil: NURPUR

Village	H. B. No.	Khasra No.	Area	
			K.	M.
1	2	3	4	5
HARSAR (TIKKA HAWAL)	7/37	530/18	2	16
		531/18/2	3	8
		532/18/2	0	8
		175	8	7
		148	2	2
		149	2	8
		150	2	14
		151	2	6
		163/2	1	19
		167/1	0	19
		170/1	0	18
		171/1	6	17
		212	3	15
Total Kitta ...		13	38	17
			or 3.69 acres.	

By order,
Sd/-
Secretary.

भाग 2—वैधानिक नियमों को छोड़ कर विभिन्न विभागों के अध्यक्षों और जिला मैजिस्ट्रेटों द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE, HAMIRPUR DISTRICT, HAMIRPUR (H.P.)

NOTIFICATION

Hamirpur, the 19th June, 1987

No. FS/3-41/87.—In exercise of the powers conferred upon me under clause 3 (1) (*e*) of the Himachal Pradesh Hoarding and Profiteering Prevention Order, 1977, I, Ashis Dev, District Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur, Himachal Pradesh do hereby order that the rates fixed *vide* Notification No. FS/3-41/87-3737-3836, dated 21st May, 1987 published in the Extraordinary Gazette, dated 6th June, 1987 shall remain in force for a further period of two months *i.e.* from 6th July, 1987 to 5th September, 1987.

ASHIS DEV,
District Magistrate, Hamirpur,
District Hamirpur (H.P.).

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE CHAMBA, DISTRICT CHAMBA (H.P.)

ORDER

Chamba, the 19th June, 1987

No. CBA-PESHI-M-5(7) 87.—In exercise of the powers vested in me *vide* section 7(1) of the Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls Act, 1956 and subsequent rules made thereunder, I, Sarojini Thakur, District Magistrate, Chamba do hereby declare all P.W.D. Rest Houses and Circuit Houses as also the Guest Houses/Transit accommodation of all departments/corporations/autonomous bodies, Municipal Rest houses, Panchayat Sarais and premises of Bus Stand situated within the District of Chamba as public places for the purpose of the said Act, with immediate effect.

S. THAKUR,
District Magistrate,
Chamba (H.P.).

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE, BILASPUR DISTRICT, HIMACHAL PRADESH

NOTIFICATION

Bilaspur, the 17th June, 1987

No. BLS-PESHI 87-33355-465.—In view of the activities of the extremists in neighbouring state of Punjab and in order to avoid any untoward incident on the border of this District, I, S. K. Dash, District Magistrate, Bilaspur hereby order to exercise strict check on kinds of vehicles on the border of this District *i. e.* at Swarghat barrier. Every passenger going and coming will be subjected to security check.

S. K. DASH,
District Magistrate,
Bilaspur, (H.P.).

भाग 3—अधिनियम, विधेयक और विधेयकों पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन, वैधानिक नियम तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, फाइनेन्शियल कमिश्नर तथा कमिश्नर आफ इन्कम टैक्स द्वारा अधिसूचित आदेश इत्यादि

शून्य

भाग 4—स्थानीय स्वायत शासन: म्युनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, नोटिफाइड और टाउन एरिया तथा पंचायती राज विभाग

शून्य

भाग 5—वैयक्तिक अधिसूचनाएं और विज्ञापन

In the court of Mrs. Kiran Aggarwal, Senior Sub-Judge, Mandi (H.P.)

Case No. 14 of 1987

Smt. Mohini Devi wd/o, Smt. Lazzo Devi wd/o, Miss Hitesh, Miss Ranjana minor daughters of late Shri Mohal Lal, r/o Village Manthala, Post Office Talyahar, Tehsil Sadar, District Mandi, Himachal Pradesh ..Applicant/Petitioner.

Versus

General public .. Respondent.

Petition under section 372 of Indian Succession Act for grant of succession certificate

To

The general public.

Whereas in the above noted petition, petitioner has moved an application for grant of Succession Certificate in respect of the assets of late Shri Mohan Lal, r/o Manthala, Post Office Talyahar, Tehsil Sadar, District Mandi, Himachal Pradesh who died on 28-12-1986.

Hence this proclamation is hereby issued to the general public of the illaqua, kith and kins of the deceased Sh. Mohan Lal to file objection, if any, to the grant of Succession Certificate in this court on or before 3-8-1987 at 10 A.M. personally or through pleader or any authorised agent, failing which the petition will be heard and disposed *ex parte*.

Given under my hand and seal of this court today the 6th day of June, 1987.

Seal.

KIRAN AGGARWAL,
Senior Sub-Judge,
Mandi (H.P.).

In the Court of Mrs. Kiran Aggarwal, Senior Sub-Judge, Mandi (H.P.)

In the matter of:

State Bank of India .. Plaintiff.

Versus

M/s Brahm Dass Bharat Bhushan and others .. Defendants.

Suit for recovery of Rs. 62,852.80

To

(*a*) Smt. Parvati Devi w/o Brahm Dass
(*b*) Promila Sharma d/o
(*c*) Madan Lal Sharma
(*d*) Bharat Bhushan son
(*e*) Sansar Chand son
(*f*) Romesh Kumar son of Brahm Dass, all r/o Village Nelti, Tehsil Dehra, District Kangra, Himachal Pradesh.

Whereas in the above noted case, it has been proved to the satisfaction of this court that the service upon the Lrs of the defendant Brahm Dass are not possible by an ordinary mode of service. Hence this proclamation under Order 5, Rule 20, C.P.C. is hereby issued against the above noted Lrs. of the defendant to appear in this court on 7-8-1987 at 10 A.M. personally or through an authorised agent or pleader to defend the case failing which the case will be heard *ex parte*.

Given under my hand and the seal of this court on 6th day of June, 1987.

Seal.

KIRAN AGGARWAL,
Senior Sub-Judge,
Mandi, H.P.

PROCLAMATION UNDER ORDER 5, RULE 20, C.P.C.

In the Court of Shri D. S. Khenal, Sub-Judge 1st Class Rajgarh, District Sirmaur Camp at Sarahan

In case No. 36/1/86

Titled Bal Kishan *Versus* Amar Nath etc.

Suit for Declaration

To

Smt. Ram Piari w/o Shri Jai Kishan, r/o Kainan, P. O. Morni, Tehsil Kalka, District Ambala.

Whereas in the above noted case, it has been proved to the satisfaction of the court that above named defendant Smt. Ram Piari cannot be served in an ordinary way of service. Hence this proclamation is hereby issued against the above named defendant Smt. Ram Piari to appear in this court on 25-7-87 at Sarahan at 10 A.M. personally or through pleader or authorised agent, failing which an *ex parte* proceeding will be taken against her.

Given under my hand and seal of this court the 30th day of June, 1987.

Seal.

D. S. KHENAL,
Sub-Judge 1st Class, Rajgarh,
District Sirmaur (H. P.).

In the Court of Shri Rajan Gupta, Sub-Judge, Bilaspur, H. P.

Case No. 32/1 of 1987

Tara Singh s/o Shri Ganga Singh s/o Deba Singh, r/o Dabat Majari, Pargana Kot, Tehsil and District Bilaspur, H. P. . . *Plaintiff.*

Versus

1. Chajju s/o Mangtu, caste Musalman, r/o Tungri, Pargana Geharwin, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur, H. P.

2. Asmial Khan s/o Mangtu, caste Musalman, r/o Tungri, Pargana Geharwin, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur, H.P. . . *Defendants.*

SUIT FOR DECLARATION

To

1. Chajju, 2. Asmial Khan ss/o Mangtu, caste Musalman, r/o Tungri, Pargana Geharwin, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur, H. P. . . *Defendants.*

Whereas it has been proved to the entire satisfaction of this court that the above named defendants No. 1 and 2 cannot be served in ordinary course of service and they are evading the service of summons issued against them.

This proclamation under order 5, rule 20, C.P.C. is hereby issued requiring them to appear in this court on or before 3-8-87 personally, through pleader or an authorised agent to defend the case failing which *ex parte* proceedings shall be taken against them.

Given under my hand and the seal of the court on this 10th day of June, 1987.

Seal.

RAJAN GUPTA,
Sub-Judge, Bilaspur.

बअदालत जनाब तहसीलदार साहिब देहरा (सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग) देहरा

दरुस्ती इन्द्राज खाता नम्बर 117 मिन खतौनी नम्बर 296 मिन, खसरा नम्बर 80 रकबा 0-10-89 हैक्टेयर महाल बिनामपुर, तहसील देहरा।

विधि सिंह

बनाम

राम सिंह आदि

मुकद्दमा दरुस्ती उपरोक्त इस अदालत में विचाराधीन है व फरीक दोम में से श्री चुहडू राम अरसा 15,20 साल से लापता जाहिर होता है तथा उसके जीवित होने बारे कोई इल्म न है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को चुहडू राम के जीवित होने बारे ज्ञान हो या चुहडू राम स्वय पढ़े तो वह मेरी अदालत में असालतन या वकालतन हाजर हो कर पैरवी/उजर पेश करे हाजर न आने की सूरत में उस के खिलाफ कार्यवाही जाब्ता अमल में लाई जावेगी। मिसल में आगामी तारीख पेशी 23-7-87 को मुकर्र है।

आज मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-,
सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,
देहरा।

ब अदालत श्री जे0 एल0 गुप्ता, सब-जज प्रथम श्रेणी, कुल्लू

बमुकद्दमा: चुनी लाल बनाम गुप्त राम
दिवानी नं0 64/87

दावा जर नकद मुबलिग 15,000/-

तारीख पेशी: 27-7-87

बनाम गुप्त राम सुपुत्र श्री थानू राम, सकना गांव दली, कोठी चौपाइसा, तहसील व जिला कुल्लू।

मुकद्दमा मुन्दर्जा उनवान बाला में उपरोक्त प्रतिवादी के नाम इस अदालत से कई बार समन बराय तामील जारी किये गये परन्तु प्रतिवादी गुप्त राम जानबूझ कर समन लेने व तामील लेने से छुप जाता है। अतः अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादी की तामील साधारण तरीके से होनी असम्भव है। अतः उपरोक्त प्रतिवादी के नाम इश्तहार जेर आर्डर 5, रूल 20, सी0 पी0 सी0 जारी किया जाता है कि उपरोक्त प्रतिवादी दिनांक 27-7-1987 को बवक्त 10 बजे मकाम कुल्लू में असालतन या वकालतन हाजर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा कार्यवाही यकतरफा अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 24-6-1987 को मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

जे0 एल0 गुप्ता,
सब-जज प्रथम श्रेणी, कुल्लू।

बअदालत जनाब श्री चेत सिंह, सब-रजिस्ट्रार, डलहौजी

मुकद्दमा नम्बर आफ 1987

श्री कृष्ण कुमार सोनी सुपुत्र श्री विद्या सागर सोनी कोर्ट रोड, डलहौजी, तहसील भटियात, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश। . . प्रार्थी।

बनाम

सर्व साधारण जनता . . प्रार्थी।

प्रार्थना-पत्र बाबत रजीकृत करवाने निजी वसीयत नामा जेर धारा 40141 भारतीय रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1908.

मुकद्दमा मुन्दर्जा उनवान बाला में हर खास व आम को सूचित किया जाता है कि श्री कृष्ण कुमार सोनी सपुत्र स्वर्गीय श्री विद्या सागर सोनी प्रार्थी मजकूरा ने मिति 6-6-1987 को इस कार्यालय में दरखास्त पेश की कि सलग्न वसीयतनामा जेर धारा 40141 भारतीय रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत किया जावे जिस की तारीख पेशी 27-7-1987 को इस अदालत में रखी गई है। यदि इस सम्बन्ध में किसी को किसी किस्म का उजर या एतराज हो तो वह उपरोक्त तारीख को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत 10.00 बजे सुबह आकर उजर पेश कर सकता है। इसके बाद कोई उजर काबिले समायत न होगा अन्यथा गैरहाजरी में वसीयत पंजीकृत कर दी जायेगी।

आज बतारीख 16-6-1987 को मोहर आदलत व मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

चेत सिंह,
सब-रजिस्ट्रार, डलहौजी।

मोहर।

इश्तहार मुश्तहरा

[illegible], जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

[illegible]

[illegible]

मुहर।

[illegible]
जिला हमीरपुर।

[illegible]

मुहर।

[illegible]
सहायक समाहर्ता [illegible]

फार्म [illegible], नियम 20, [illegible]

[illegible] सुनील कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
[illegible]

[illegible]

बनाम

[illegible]

मुहर।

सुनील कुमार,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
[illegible], जिला मण्डी।

फार्म [illegible], नियम 20, [illegible]

[illegible] सुनील कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
[illegible], मण्डी

[illegible] तारीख [illegible]

[illegible]

श्री [illegible] पुत्र [illegible], निवासी [illegible], जिला मण्डी
प्रार्थी।

बनाम

[illegible]

[illegible]

मुहर।

[illegible] कुमार,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
[illegible], जिला मण्डी।

इश्तहार आर्डर 5, रूल 20, सी० पी० सी०

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवम् तहसीलदार [illegible]

[illegible]

मिसल नं० 12/87 [illegible] तारीख [illegible] 1-87

[illegible] सिंह पुत्र [illegible] सिंह, निवासी मुहल्ला [illegible] ([illegible]) ... वादी ।

बनाम

1. [illegible] सिंह पुत्र [illegible] सिंह, निवासी मुहल्ला [illegible] ([illegible])
2. [illegible] सिंह, [illegible] सिंह पुत्र व श्रीमती [illegible] कौर, [illegible] पुत्री व श्रीमती [illegible] कौर विधवा, [illegible] सिंह [illegible] [illegible] 1 [illegible] नं० 2 [illegible] ।
3. श्रीमती [illegible] कौर विधवा [illegible] सिंह, [illegible] सिंह, [illegible] सिंह पुत्र [illegible] सिंह [illegible] कौर, निवासी [illegible], मुहल्ला [illegible] ।
4. [illegible] कौर पुत्री [illegible] सिंह [illegible] सिंह, निवासी मुहल्ला [illegible] ।
5. [illegible] पत्नी [illegible], निवासी मुहल्ला [illegible] [illegible] ... प्रतिवादीगण ।

[illegible] सिंह वादी ने [illegible] नं० 104 [illegible] 1981-82 [illegible] दायर किया है जिसकी तहकीकात की जा रही है। प्रतिवादीगण 1 ता 5 को कई बार सम्मन भेजे गये परन्तु वह सम्मन लेने से आनाकानी कर रहे हैं। अदालत हजा को यकीन हो चुका है कि तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है इसलिये प्रतिवादीगण को बजरिया इश्तहार आर्डर 5, नियम 20, सी० पी० सी० सूचित किया जाता है कि वह असालतन व वकालतन दिनांक 27-7-1987 को 10 बजे अदालत हजा में हाजर होकर मुकद्दमा की पैरवी करें अन्यथा कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक [illegible] 1987 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर से जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/-,
मोहर। सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, [illegible]

ब अदालत श्री बी० आर० शर्मा, नायब तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

विषय.—इन्तकाल नं० 108 [illegible] पुत्र [illegible] पुत्र [illegible], साकन टीका [illegible], मौजा [illegible] हदबस्त नं० 55, उप-तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

इश्तहार बाबत [illegible] रजिस्ट्री व [illegible] रजिस्ट्री

[illegible] पुत्र [illegible] पुत्र [illegible] टीका [illegible] मौजा [illegible], हदबस्त नं० 55, उप-तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर।

[illegible] बनाम आम जनता। [illegible] पुत्र [illegible] पुत्र [illegible], वासी टीका [illegible], मौजा [illegible], उप-तहसील सुजानपुर बजरिया [illegible] रजिस्ट्री [illegible] दिनांक 18-11-1985 बाबत [illegible] 5 कनाल [illegible] व [illegible] जिसकी [illegible] पुत्र [illegible], वासी टीका [illegible], मौजा [illegible], उप-तहसील सुजानपुर [illegible] वसीयत [illegible] दिनांक 10-11-1987 [illegible] व श्रीमती [illegible] देवी पत्नी [illegible] पुत्र [illegible] कर दी है और [illegible] वसीयत [illegible] के मुताबिक इन्तकाल नं० 108 टीका [illegible] दिनांक 15-3-1986 को दर्ज रजिस्टर हो चुका है जो कि जेर समायत है। अतः इस इश्तहार द्वारा सूचना दी जाती है कि यदि किसी को [illegible] वसीयत [illegible] दिनांक 10-1-1986 बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस इश्तहार के जारी होने के 30 दिनों के अन्दर अन्दर तारीख 27-7-1987 को अपना उजर व एतराज इस कार्यालय में पेश कर सकता है। यदि किसी का कोई उजर या एतराज [illegible] मियाद के अन्दर इस कार्यालय में प्रस्तुत न हुआ तो इन्तकाल नं० 108 [illegible] पुत्र [illegible] पुत्र [illegible] बनाम [illegible] रजिस्टर्ड [illegible] दिनांक 18-11-1985 [illegible] दिनांक 10-1-1986 मन्जूर कर दिया जावेगा और बाद में कोई उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।

आज हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

बी० आर० शर्मा,
मोहर। सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, सुजानपुर।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

विषय.—[illegible] इन्तकाल [illegible] नं० 151, टीका [illegible], मौजा [illegible] हदबस्त नं० [illegible], उप-तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर।

[illegible] बनाम [illegible] वासी टीका [illegible], मौजा [illegible], [illegible]।

इश्तहार बनाम आम जनता।

[illegible] पुत्र [illegible], टीका [illegible], मौजा [illegible], उप-तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर [illegible] 10180 [illegible] है। इसका इन्तकाल नं० 154 [illegible] टीका [illegible] पुत्र व श्रीमती [illegible] देवी पुत्री [illegible] के नाम दिनांक 27-2-1987 को दर्ज रजिस्टर इन्तकाल है और जेर [illegible] है। श्री [illegible], का इस [illegible] से कोई [illegible] की नहीं जाता है और न ही [illegible] का पता चला है। अतः इश्तहार हजा [illegible] सूचना दी जाती है कि यदि किसी को [illegible] के बारे में कोई पता हो या [illegible] इन्तकाल [illegible] में कोई उजर या एतराज हो तो वह सूचना इश्तहार हजा के 10 दिन के अन्दर असालतन या वकालतन दिन 27-7-1987 को हाजर आकर अपना उजर पेश कर सकता है। इसके बाद कोई उजर या एतराज काबिले समायत न होगा और इन्तकाल [illegible] मन्जूर कर दिया जावेगा।

आज दिनांक [illegible] 1987 को हमारे हस्ताक्षर तथा मोहर [illegible] जारी किया गया।

बी० आर० शर्मा
मोहर। सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुजानपुर।

ब अदालत श्री [illegible] राम, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवम् नायब तहसीलदार [illegible], जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं० [illegible] 1986 M I I [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] राम पुत्र श्री [illegible] राम [illegible] [illegible] तहसील [illegible] ... सायल।

बनाम

1. [illegible] राम पुत्र [illegible], 2. [illegible] पुत्र [illegible], 3. [illegible] कुमारी, 4. [illegible], 5. [illegible], 6. [illegible], 7. श्रीमती [illegible] देवी विधवा [illegible], 8. [illegible] पुत्र [illegible] राम [illegible] [illegible], तहसील [illegible] ... प्रतिवादीगण।

मुकद्दमा [illegible] बाबत भूमि खाता नं० [illegible], खतौनी नं० 112 मिन, खसरा नं० 83/2 रकबा तादादी 0-01-61 हैक्टेयर व खसरा नं० 84 रकबा तादादी 0-01-00 हैक्टेयर कुल रकबा तादादी 0-05-61 हैक्टेयर [illegible] व मौजा [illegible], तहसील [illegible] जमाबन्दी साल 1983-84।

मुकद्दमा उनवान बाला में प्रतिवादीगण निवासी [illegible], तहसील [illegible], जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश वालों को इस अदालत से कई बार सम्मन जारी किये परन्तु उनकी तामील असालतन न हो सकी रिपोर्ट तामील कुनिन्दा के अनुसार प्रतिवादीगण बाहर रहना [illegible] हुए हैं। उनके [illegible] पता मालूम न हो सके। इसलिए उनकी तामील साधारण तरीके से होनी कठिन है। इसलिए उनको बजरिया इश्तहार हजा सूचित किया जाता है कि वे हमारी अदालत में अपनी पैरवी मुकद्दमा [illegible] असालतन या वकालतन दिनांक 28-7-1987 को प्रातः 10 बजे हाजिर आवें अन्यथा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 15-5-87 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

[illegible] राम शर्मा
मोहर। सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवम् नायब तहसीलदार, तहसील [illegible], जिला कांगड़ा।

अण्डर आर्डर 5, रूल 20, सी0 पी0 सी0

ब अदालत जनाब सुशील कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हि0 प्र0

तारीख मरजुआ 16-6-86

मिसल नं0 39

मुकद्दमा:

श्री तुलसिया पुत्र नरंजन, निवासी सन्धोल, जिला मण्डी, हि0 प्र0

बनाम

श्री रिडकू पुत्र रघु उर्फ गुरध्यान, पूर्ण, मधु पुत्र नरंजन, निवासी सन्धोल

. .फरीक दोम ।

दरख्वास्त तकसीम अराजी बाबत जमीन महाल नहसराना/6 दावा तकसीम

उपरोक्त फरीक दोम को न्यायालय हजा से कई बार समन जारी हुए लेकिन उन पर तामील हस्ब जाब्ता नहीं हो पा रही है तथा न्यायालय हजा को भी विश्वास हो चुका है कि उन पर तामील समन साधारण तरीके से नहीं हो सकती अत: समस्त उपरोक्त फरीक दोम को सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 27-7-87 समय 10 बजे प्रात: असालतन न्यायालय हजा में हाजिर होवें अन्यथा कार्यवाही जाब्ता अमल में लाई जाएगी ।

हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 23-6-87 को जारी हुआ

मोहर ।

सुशील कुमार,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील सन्धोल,
जिला मण्डी, हि0 प्र0 ।

ब अदालत श्रीमान बी0 डी0 शर्मा, सब-रजिस्ट्रार चुराह, जिला चम्बा

जानता पुत्र बाहगा, निवासी मजार, परगना मेई

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त रजिस्टर्ड करवाए जाना वसीयत नामा

उपरोक्त प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र बगज नम्दीक किए जाना वसीयत नामा हमारे न्यायालय में पेश किया उक्त प्रार्थना-पत्र के अनुसार वगतार पुत्र अर्जुन सकना मजार, परगना मेई, तहसील चुराह, जिला चम्बा ने दिनांक 12-12-1984 को वसीयत लिखवाई थी जो फौत हो चुका है । अत: आम व खास को बजरिया इश्तहार हजा सूचित है । यदि उक्त वसीयत के तस्दीक पर रजिस्टर्ड होने में कोई एतराज हो तो दिनांक 23-7-1987 समय 10 बजे प्रात: असालतन या वकालतन न्यायालय हजा में हाजिर हो कर पेश करें अन्यथा कार्यवाही जाब्ता अमल में लाई जावेगी ।

हस्ताक्षर हमारे व मोहर अदालत से आज दिनांक 20-6-87 को जारी हुआ ।

मोहर ।

बी0 डी0 शर्मा,
सब-रजिस्ट्रार, चुराह, जिला चम्बा ।

In the Court of Shri R. L. Azad, Sub-Judge 1st Class, Arki, District Solan, Himachal Pradesh

In relation to:

Smt. Gita Devi w/o Shri Om Parkash, residing in Village Ranjhala, Pargana Pobar, Tehsil Arki, District Solan, Himachal Pradesh, 2. Kumari Nisha d/o Shri Om Parkash (minor) through applicant No. 1

. .Applicant.

Versus

Shri Om Parkash s/o Shri Kapuru, r/o village Jamrot, Pargana Jabal, Tehsil Kandaghat, District Solan, Himachal Pradesh

. .Respondent.

Application under section 125 Cr. P. C. for maintenance allowance

To

Shri Om Prakash s/o Shri Kapuru, r/o village Jamrot, Pargana Jabal, Tehsil Kandaghat, District Solan, Himachal Pradesh.

Whereas in the above noted case the above noted Respondent Shri Om Parkash s/o Shri Kapuru, r/o Village Jamrot, Pargana Jabal, Tehsil Kandaghat, District Solan, Himachal Pradesh cannot be served in the normal course of service hence this proclamation U/O 5, Rule 20, C. P. C. is issued against the above noted Respondent Om Parkash to appear in this court on dated 27-7-87 at 10 A. M. through a pleader or an authorised agent failing which the *ex-parte* proceeding will be taken against you.

Given under my hand and seal of the court this 29th day of June, 1987.

Seal.

R. L. AZAD,
Sub-Divisional Judicial Magistrate 1st Class,
Arki, District Salan.

बअदालत सब-रजिस्ट्रार, ज्वाली, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

विषय:—रजिस्ट्रेशन आफ वसीयत श्री कृपा राम मुतवफी पुत्र मूढ़ा राम, निवासी समरालिया, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा व हाल हन मौजा ज्वाली, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा U/S 40/41 आफ रजिस्ट्रेशन ऐक्ट ।

बीर सिंह आदि बनाम जनरल पब्लिक

1. श्रीमती शान्ति देवी बेवा कृपा राम सकना हन, तहसील ज्वाली, 2. श्रीमती लाजवन्ती पुत्री कृपा राम सकना हन, तहसील ज्वाली ।

हर आम और खास को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि तिथि 27-7-87 सुबह 10 बजे अदालत सब-रजिस्ट्रार ज्वाली असालतन या वकालतन हाजिर हो कर उपरोक्त वसीयत के रजिस्ट्रेशन के बारे अपना उजर दाखल/पेश करते हैं यदि उपरोक्त तारीख पर कोई उजरदार अदालत हजा में उपस्थित न हुआ तो वसीयत बाहक वीर सिंह आदि U/S 40/41 रजिस्टर हो कर के अधीन रजिस्टर की जायेगी ।

मोहर ।

हस्ताक्षरित/-
सब-रजिस्ट्रार,
ज्वाली ।

भाग 6—भारतीय राजपत्र इत्यादि में से पुन: प्रकाशन

अन्य

भाग 7—भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) की वैधानिक अधिसूचनाएं तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी अधिसूचनाएं

अनुपूरक

अन्य

PART I

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 16 अप्रैल, 1987

संख्या लो0 नि0 (ख)3 (5) 1/84.—कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित कम्पनी एशिया रिजोर्ट लिमिटिड परवाणू, हिमाचल प्रदेश ने जिला सोलन में परवाणू के समीप "टिम्बर ट्रेल रिजोर्ट" और "बन्सर हिल टाप" के बीच कौशल्या रिव्यूलिट के ऊपर सीधी पंक्ति में यात्री/माल आकाशी रज्जू मार्ग का निर्माण करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन किया था ;

और राज्य सरकार ने उक्त परियोजना पर विचार करने पर और इस निमित अन्य सभी अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी करने पर हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जू मार्ग अधिनियम, 1968 (1969 का 7) की धारा 5 के अधीन मंजूरी आदेश जारी कर दिया है और उसे इस सरकार की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 10 जून, 1986 द्वारा सूचित किया गया है जिसके अनुसार प्रोमोटर "एशिया रिजोर्ट लिमिटिड" को आकाशी रज्जू मार्ग के निर्माण के लिए यथा आवश्यक सर्वे करने के लिए प्राधिकृत कर दिया गया है ;

और उक्त प्रोमोटर ने अब परियोजना के विस्तृत प्राक्कलन, रेखांक और डिजाइन, प्रस्तुत कर दिए हैं और राज्य सरकार उक्त विस्तृत डिजाइन रिपोर्ट की संवीक्षा के उपरांत इस निष्कर्ष पर पहुंची

है कि परियोजना का प्रस्तावित डिजाइन आई०आर०सी० कोड की अपेक्षाओं के अनुरूप है और प्रयोग में लाई जाने वाली सामग्री इण्डियन स्टैंडर्ड्ज इंस्टीट्यूट (आई०एस०आई०) द्वारा अधिकथित विनिर्देश के अनुसार होगी;

और राज्य सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 5 में अधिकथित शर्तों पर विचार करने के उपरान्त और हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जू मार्ग अधिनियम, 1968 की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त प्रोमोटर को, इस अधिसूचना से संलग्न प्रारूप आदेश के अनुसार जिला सोलन में परवाणू के समीप "टिम्बर ट्रेल रिजोर्ट और बन्सर हिल टाप" के बीच आकाशी रज्जू मार्ग का निर्माण करने के लिए प्राधिकृत करने का प्रस्ताव करते हैं।

अतः राज्य सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सभी हितबद्ध व्यक्तियों से प्रस्तावित आकाशी रज्जू मार्ग के सम्बन्ध में आक्षेप/सुझाव आमंत्रित करती है आक्षेप/सुझाव यदि कोई हो, इस अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर सचिव (लोक निर्माण) हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से राज्य सरकार को किए जा सकेंगे। इस प्रकार उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को या उस से पूर्व प्रस्तावित आकाशी रज्जू मार्ग की बाबत जो भी आक्षेप और सुझाव प्राप्त होंगे राज्य सरकार आदेश को अन्तिम रूप देने और उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन प्रकाशित करने से पूर्व उन पर विचार करेगी।

आदेश

शिमला-2, 16 अप्रैल, 1987

संख्या लो०नि०(ख)3(5)1/84.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जू मार्ग अधिनियम, 1968 (1969 का 7) की धारा 6 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला सोलन में परवाणू के समीप एशिया रिजोर्ट लिमिटिड परवाणू (हि० प्र०) प्रोमोटर द्वारा "टिम्बर ट्रेल रिजोर्ट" और "बन्सर हिल टाप" के बीच कौशल्या रिव्यूलिट के ऊपर सीधी पंक्ति में आकाशी रज्जू मार्ग का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित निर्बन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, प्राधिकृत करते हैं:—

1. आकाशी रज्जू मार्ग, प्रोमोटर द्वारा राज्य सरकार को यथा प्रस्तुत मानक परिमाप और विनिर्देशों के अनुरूप होगा जिनका निरीक्षण किसी भी व्यक्ति द्वारा, निरीक्षक रज्जू मार्ग के कार्यालय में किया जा सकेगा।
2. प्रोमोटर, उप-बन्ध 1 में विभिन्न वर्गों के यात्रियों के लिए यथा उपबन्धित निम्नतम दरों से कम और अधिकतम दरों से ज्यादा भाड़ा वसूल नहीं करेंगे।
3. प्रोमोटर, हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जू मार्ग अधिनियम, 1969 की धारा 27 के अधीन यथा उपबन्धित उप-विधियां बनवायेंगे और उन्हें इस मन्जूरी की प्राप्ति के एक मास के भीतर सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा। प्रोमोटरों द्वारा सभी प्रकार से इन उप-विधियों का पालन करना पड़ेगा।
4. प्रोमोटरों द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 28 के अधीन राज्य सरकार द्वारा यथा विहित रूप और रीति में ठीक समय पर और नियमित रूप से विवरणियां प्रस्तुत करनी पड़ेंगी।
5. प्रोमोटर 31-3-1987 से पूर्व या ऐसे समय के भीतर जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में अनुमत्त किया जाए प्रस्तावित निर्माण के लिए लगने वाली पूंजी को उठाएगा।
6. प्रोमोटर उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन रज्जू मार्ग के निर्माण को प्राधिकृत करने वाले अन्तिम आदेश के प्रकाशन के तुरन्त पश्चात् निर्माण कार्य प्रारम्भ कर देगा और प्रोमोटरों द्वारा उक्त निर्माण कार्य सभी प्रकार से उक्त अन्तिम आदेश के प्रकाशन से एक वर्ष की अवधि के भीतर पूरा किया जायेगा।
7. राज्य सरकार या कोई भी स्थानीय प्राधिकरण आकाशी रज्जू मार्ग का ऐसे निबन्धों और शर्तों पर क्रय कर सकेगी जो प्रोमोटर और राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के बीच परस्पर स्वीकार्य हों, जैसी भी स्थिति हो राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण उक्त परस्पर करार की अनुपस्थिति में यथास्थिति उक्त अधिनियम के अध्याय 7 के उपबन्धों के अनुसार आकाशी रज्जू मार्ग का क्रय कर सकेगी।
8. प्रोमोटर कम्पनी की लेखा ऐसी रीति में तैयार, प्रस्तुत और संपरीक्षित किया जायेगा जो राज्य सरकार, महा-लेखाकार, हिमाचल प्रदेश चण्डीगढ़ शिमला-3 के परामर्श से विहित करे।
9. आकाशी रज्जू मार्ग के निर्माण, कार्य प्रणाली, वसूल किए जाने वाले भाड़े या भाटक सम्बन्धी और आकाशी रज्जू मार्ग से किसी भी प्रकार से उत्पन्न होने वाले या उससे सम्बन्धित निर्वचन सम्बन्धी सभी विवाद एक मात्र मध्यस्थ, मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार या उसके नामनिर्देशिती को निर्दिष्ट किए जायेंगे। उक्त माध्यस्थम कार्यवाहियों के लिए माध्यस्थम अधिनियम, 1940 के उपबन्ध लागू होंगे।
10. प्रोमोटर किसी भी दशा में, आकाशी रज्जू मार्ग को या उसके किसी भाग को राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना किसी भी अन्य व्यक्ति को स्थानान्तरित नहीं करेगा।
11. प्रोमोटर विश्वस्त यंत्रों का उपबन्ध करेंगे और संकेतन, उपयुक्त डिजाईन मोटिव पावर का और आकाशी रज्जू मार्ग के सुरक्षित एवं दक्षतापूर्ण कार्य के लिए प्रशिक्षित प्रचालकों का प्रबन्ध करेंगे और सभी स्तम्भों, रस्सियों, मशीनरी, गीयर और अन्य सामग्रियों का, प्रतिदिन निरीक्षण करायेगा और जहां पर आवश्यक हो उन में नियमित रूप से ग्रीस और तेल लगवायेगा जैसा कि डिजाइन प्रोमोटर द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत किया गया है, जिसका निरीक्षण, निरीक्षक रज्जू मार्ग के कार्यालय में किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकेगा।
12. प्रोमोटर, भारतीय आयुध और गोला बारूद अधिनियम 1959 के अन्तर्गत आने वाली मदों को छोड़ कर यात्रियों को उनके सामान जैसे ब्रीफ केस/अटैची, सूटकेस/हैंड बैग आदि सहित आकाशी रज्जू मार्ग के ऊपर ले जायेंगे और यात्रियों को उनके सामान सहित ले जाने के प्रति कड़ाई से अनुपालन करेंगे।

उपबन्ध—1

मैसर्ज एशिया रिजोर्ट लिमिटिड चण्डीगढ़ द्वारा जिला सोलन में परवाणू के समीप "टिम्बर ट्रेल रिजोर्ट", "बन्सर हिल टाप" के बीच निर्मित किए जाने वाले आकाशी रज्जू मार्ग से यात्रियों को ले जाने के लिए वसूल की जाने वाली दरों की अनुसूची:—

क्रमांक	विवरण	न्यूनतम दर	अधिकतम दर
1.	3 वर्ष से कम आयु के शिशु।	इन्हें छूट प्रदान की जाती है।	
2.	3 से 12 वर्ष की आयु तक के शिशु।	5 रुपये	10 रुपये
3.	12 वर्ष की आयु से ऊपर के अन्य व्यक्ति।	10 रुपये	15 रुपये

टिप्पणी:—(1).—प्रोमोटर, यात्रियों से छोटे ब्रीफ केस, छोटे सूट केस और हैंड बैग आदि के लिए कुछ भी वसूल नहीं किया जायेगा।

(2) प्रोमोटर, यात्रियों के बड़े सामान को रखने के लिए टिम्बर ट्रेल रिजोर्ट में आकाशी रज्जू मार्ग के निचले सिरे में एक सामान-कमरे का उपबन्ध करेंगे और इस निमित्त यात्रियों को एक उचित रसीद देंगे।

(3) उक्त उल्लिखित भाड़ा दोनों ओर की यात्रा के लिए वसूल किया जायेगा।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
आयुक्त एवं सचिव।

[*Authorised English text of this Government notification No. PBW (B&R) (B) 3 (5)-1/84, dated 16-4-87 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India.*]

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 16th April, 1987

No. PBW (B&R) (B)-3 (5)-1 84.—Whereas the Asia Resorts Ltd., Parwanoo, Himachal Pradesh, a company incorporated under the Companies Act, 1956 (Act No. 1 of 1956), had applied for permission to construct a passenger/goods aerial ropeway between "Timber Trail Resort" and "Bansar Hill Top" near Parwanoo in Solan district in a straight line over Kaushlya rivulet;

And whereas the State Government, having considered the said Project and completion of all other codal formalities in this regard has issued a sanction order under section 5 of the Himachal Pradesh Aerial Ropeways Act, 1968 (Act No. 7 of 1969) conveyed *vide* this Government letter of even number, dated 10th June, 1986 whereunder the Promoters "Asia Resorts Ltd.' have been authorised to carry out surveys as are necessary for construction of an aerial ropeway;

And whereas the said promoters have now submitted the detailed estimates, plans, and designs of the Project, and the State Government, after scrutiny of the said detailed design report has concluded that the proposed design of the project is in conformity with the requirements of the I.R.C. Codes and the material to be used will be according to the specifications laid down by the Indian Standards Institute (ISI);

And whereas the State Government, after considering the conditions laid down in section 5 of the Act *ibid* and in exercise of the powers conferred under subsection (1) of section 6 of the Himachal Pradesh Aerial Ropeways Act, 1968, proposes to authorise the said promoters to construct aerial ropeway between "Timber Trail Resort" and "Bansar Hill Top" near Parwanoo, District Solan, as per draft order annexed to this notification.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under section 6 of the Act *ibid*, the State Government hereby invites the objection (s)/suggestion (s) in relation to the proposed aerial ropeway from all the interested persons. The objections/suggestions, if any, should be made to the State Government through the Secretary (PW) to the Government of Himachal Pradesh within three weeks from the publication of this notification in the Rajpatra, Himachal Pradesh. Any objection (s)/suggestion (s) with respect to the proposed aerial ropeway received by the State Government on or before the date specified above, shall be taken into consideration before the final order is made and published under section 7 of the Act *ibid*.

[*Authorised English text of this Government proposed Order No. PBW (B&R) (B) 3. (5)-1/84, dated 16-4-87 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India*].

ORDER

Shimla-171002, the 16th April, 1987

No. PBW (B&R) (B) 3-(5)-1/84.—In exercise of the powers conferred upon him under section 6(1) of the Himachal Pradesh Aerial Ropeways Act, 1968 (Act No. 7 of 1969), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to authorise the construction of an aerial ropeway between "Timber Trial Resort" and "Bansar Hill Top" near Parwanoo in Solan district in a straight line over Kaushlya rivulet by Asia Resorts Ltd., Parwanoo, H.P. (Promoters) subject to the following restrictions and conditions:—

1. The aerial ropeway shall conform to the standard dimensions and specifications as submitted by the pomoters to the State Government, which can be inspected by any person in the office of the Inspector of Ropeway, Himachal Pradesh.
2. The promoters shall not charge rates lower than the minimum or higher than the maximum for various classes of passengers and goods as provided in the Schedule of Rates as per Annexure-I.
3. The promoters shall have bye-laws framed as provided under section 27 of the Himachal Pradesh Aerial Ropeways Act, 1968 and submit them for the approval of the Government within one month of the receipt of this sanction. They shall have to abide by these bye-laws in all respects.
4. The promoters shall have to submit returns under section 28 of the Act *ibid*, regularly and punctually in the forms and in the manner as may be prescribed by the State Government.
5. The promoters shall raise the capital required to be invested for the proposed construction before 31-3-1987, or within such time as may be specifically allowed by the Government.
6. The promoters will commence the construction immediately after the publication of the final order authorising the construction of the ropeway under section 7 of the Act *ibid* and the said construction shall be completed in all respect by the promoters within a period of one year commencing from the publication of the said final order.
7. The State Government or any local authority may purchase the aerial ropeway on such terms and conditions as may be mutually agreed upon between the promoters and the State Government or local authority as the case may be In the absence of the said mutual agreement, the, State Government or the Local Authority, as the case may be, may purchase the aerial ropeway in accordance with the provisions of Chapter VII of the Act *ibid*.
8. The accounts of the promoters company shall be prepared, submitted and audited in such a manner as may be prescribed by the State Government in consultation with the Accountant General, Himachal Pradesh and Chandigarh, Shimla-3.
9. All the disputes relating to the construction and functioning of the aerial ropeways, the rates of fares and freights to be charged, interpretation in any way arising out of or concerning aerial ropeway shall be referred to the sole Arbitration of the Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh or his nominee. The provisions of the Arbitration Act 1940 shall apply to the aforesaid arbitration proceedings.
10. The promoters shall not transfer, in any way, aerial ropeway or any part thereof to any other person without the prior approval of the State Government.
11. The promoters shall provide reliable divices provisions for signalling, suitably design motive power, trained operators for the safe and efficient working of the aerial ropeway and shall cause all posts, ropes, machinery, gear and other appliances daily inspected and wherever necessary properly greased and oiled regularly as per design submitted by the promoters to the State Government which can be inspected by any person in the office of the Inspector of Ropeway, Himachal Pradesh.
12. The promoters shall carry passengers with their luggage such as brief case/attachee/suit case, handbag etc. on the aerial ropeway except the items covered under the Indian Arms and Ammunition Act, 1959 and observe strict adherence to carry passengers including their luggage etc

ANNEXURE I

SCHEDULE OF RATES WHICH IS TO BE CHARGED FOR CARRYING PASSENGERS THROUGH AERIAL ROPEWAY TO BE INSTALLED BETWEEN "TIMBER TRAIL RESORT AND BANSAR HILL TOP" NEAR PARWANOO (SOLAN) HIMACHAL PRADESH BY M/S ASIA RESORTS LTD., CHANDIGARH

Sr. No.	Description	Minimum rate	Maximum rate
1.	Children below the age of 3 years.	They are to be exempted	
2.	Children from 3 to 12 years of age.	Rs. 5	Rs. 10
3.	Other persons over the age of 12 years.	Rs. 10	Rs. 15

Note.—1. The promoters will not charge anything for the small luggage like brief case, small suit cases and hand bags etc. from the passengers.

2. The promoters will provide a luggage room in the Timber Trail Resort (the lower end of the Ropeway) for storing the bigger luggage of the passengers and will give a proper receipt to them in this respect.

3. The above mentioned rent will be charged from the passengers for both way journey.

By order,
Sd/-
Commissioner-cum-Secretary.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।